न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2019/00478

बंशी लाल आत्मज मोतीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम भोरा तहसील दीगोद जिला कोटा ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. महेन्द्र आत्मज रामप्रसाद जी (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   1/1. सुनीता पत्नी महेन्द्र मीणा
   1/2. आशू पुत्र महेन्द्र मीणा ।
   1/3. भारती पुत्री महेन्द्र मीणा नाबालिग
   1/4. विशाल पुत्र महेन्द्र मीणा नाबालिग जरिये वली माता सुनीता पत्नी महेन्द्र मीणा जाति मीणा निवासीगण ग्राम भौंरा तहसील दीगोद जिला कोटा ।
2. राजेन्द्र आत्मज रामप्रसाद जाति मीणा ।
3. रामजानकी बेवा रामप्रसाद जाति मीणा ।
4. मनमोहन गौतम आत्मज हीरालाल जाति ब्राह्मण निवासीगण ग्राम भौंरा तहसील दीगोद जिला कोटा ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री मायाराम स्वामी, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 28.12.2020

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.12.2019 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट क्रम 1 से 3 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम भौंरा तहसील दीगोद जिला कोटा में कुल 05 किता की 2.84 हैक्टर आराजी स्थित है । उक्त भूमि वादीगण के संयुक्त खाते में दर्ज है । उक्त आराजी में से खसरा नम्बर 71 रकबा 0.04 हैक्टर पर वादीगण के पूर्वजों के समय से ही चारों ओर पत्थरों

की बाउण्ड्री हो रही तथा वादीगण उक्त भूमि में अपनी काश्तकारी का सामान आदि रखते चले आ रहे हैं । प्रतिवादीगण हर किसी की भूमि पर कब्जा करने की चेष्टा करते रहते हैं वे इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आये दिन वादीगण के खाते व कब्जे की उक्त भूमि में दखलन्दाजी करते हैं तथा जबरन कब्जा करने पर आमादा हैं जिसका उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं है । वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि वे प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करावें कि वे वादीगण के खाते की आराजी पर वादीगण के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप नहीं करें ।

3. अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि प्रतिवादीगण वादीगण के खाते की आराजी खसरा नम्बर 71 रकबा 0.04 हैक्टर वाके ग्राम भौंरा तहसील दीगोद पर किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करें तथा वादीगण को शांतिपूर्वक काबिज रहने दें तथा उक्त भूमि पर जबरन कब्जा नहीं करें और न ही उक्त आराजी की बाउण्ड्रीबाल को किसी प्रकार से क्षति पहुंचावें । उक्त कृत्य न तो स्वयं प्रतिवादीगण करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. प्रतिवादी कम 01 ने जंवाबदावा प्रस्तुत कर वादीगण के वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए वादीगण का वादपत्र खारिज करने का कथन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 11.12.2019 के द्वारा वाद वादीगण स्वीकार कर डिक्री कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.12.2019 से व्यथित होकर प्रतिवादी कम 01 बंशीलाल अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना ही वाद डिक्री कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि उक्त आराजी खसरा नम्बर 71 रकबा 0.04 हैक्टर रामप्रसाद व मोत्या द्वारा अपीलान्ट को दिनांक 21.06.2000 को 40000/– रूपये में बेचान कर कब्जा संभला दिया और 100/– रूपये के स्टाम्प पर बेचाननामा आलेखित कर दिया तब से ही उक्त भूमि पर अपीलान्ट काबिज काश्त चला आ रहा है और अपने पैसों से उक्त भूमि पर पत्थरों की बाउण्ड्री बनायी जिसमें ट्रेक्टर, ट्रोली एवं जानवर आदि रखते हैं । अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय से खातेदारी की घोषणा नहीं चाही है वरन् कय के आधार पर अपना कब्जा स्टेबलिश किया है जिसको स्वयं वादीगण रेस्पोडेन्ट द्वारा स्वीकार किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.12.2019 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य का अवलोकन किये बिना निर्णय पारित किया है । वादग्रस्त आराजी रामप्रसाद एवं मोत्या के द्वारा अपीलान्ट को दिनांक 21.06.2000 को 40000/– रूपये में बेचान कर 100/– रूपये के स्टाम्प पेपर पर बेचाननामे का निष्पादन किया था तब से ही इस आराजी पर अपीलान्ट का कब्जा चला आ

रहा है । अपीलान्ट ने काफी पैसा खर्च करके पत्थरों की बाउण्ड्रीबाल बनवायी है । इस तथ्य को दस्तावेजी साक्ष्य से साबित कर दिया था फिर भी बेदखली का निर्णय पारित किया गया है अपीलान्ट के द्वारा खातेदारी अधिकार घोषणा की प्रार्थना नहीं की थी वरन् क्रय के आधार पर अपना कब्जा सिद्ध किया था । रेस्पोडेन्ट के द्वारा धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दावा पेश किया था । अपीलान्ट का सन् 2000 से निरन्तर कब्जा चला आ रहा है इस कारण धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दावा चलने योग्य नहीं था । रेस्पोडेन्ट के द्वारा किसी भी साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं किया है कि दावे के दौरान अपीलान्ट के द्वारा रेस्पोडेन्ट को कब बेदखल किया गया । रेस्पोडेन्ट ने स्वयं अपीलान्ट का कब्जा स्वीकार किया है । ऐसी स्थिति में दावा पोषनीय नहीं था । रेस्पोडेन्ट के द्वारा अपने दावे में कब्जा प्राप्त करने की कोई सहायता नहीं चाही है फिर भी बेदखली का निर्णय पारित किया गया है । तनकीयात का विवेचन विधि सम्मत रूप से नहीं किया है । तनकी नम्बर 02 ओर 4 किसके पक्ष में तय हुई हैं यह स्पष्ट नहीं किया गया है । गवाहों के बयानों से भी बेचान की पुष्टि होती है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.12.2019 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में डब्ल्यूएलसी (एससी) सिविल 2008 पेज 515, आरआरडी 1995 पेज 760, आरआरडी 1993 पेज 504, डीएनजे 2007–08 (राज0) पेज 316, डीएनजे 2011 (3) (राज0) पेज 1188 उद्वरत की ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट वादग्रस्त आराजी के खातेदार कृषक हैं और उनके द्वारा स्थायी निषेधाज्ञा का दावा पेश किया था । दौराने दावा प्रतिवादी के द्वारा कब्जा किये जाने पर धारा 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बेदखली की डिक्री पारित की गई है जो विधि सम्मत है । बेचान के इकरार के आधार पर अपीलान्ट को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं । इकरारनामा कूट रचित है जिसमें तिथि में ओवर राइटिंग हो रही है । दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम की गई हैं और उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर विधि सम्मत निर्णय पारित किया गया है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.12.2019 बहाल रखा जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरआरटी 2009 (1) पेज 638, आरआरटी 2014–15 (सप्ली) पेज 664, आरआरडी 2016–17 (सप्ली0) पेज 134 उद्वरत की ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में वादी द्वारा स्थायी निषेधाज्ञा का दावा पेश किया है जिसमें उनके द्वारा स्थायी निषेधाज्ञा की सहायता मांगी है और विकल्प में यह निवेदन किया है कि यदि ताकत के बल पर प्रतिवादी जबरन आराजी पर कब्जा कर ले तो उन्हें बेदखल कर कब्जा वादी को संभलाया जावे ।

11. वादी के द्वारा दस्तावेजात में नकल जमाबन्दी संवत् 2065–68 नया खाता संख्या 91 जिसमें खसरा नम्बर 101 की रकबा 0.62 हैक्टर भूमि महेन्द्र, राजेन्द्र पुत्र रामजानकी बाई बेवा रामप्रसाद, मोत्या बेवा प्रहलाद के खाते में दर्ज है । नकल जमाबन्दी सवंत् 2065–68 भी संलग्न है जिसमें वादग्रस्त आराजी को शामिल करते हुए 06 किता की 2.84 हैक्टर आराजी रस्पोडेन्ट के खातेदारी में दर्ज है । नकल खसरा गिरदावरी की प्रमाणित प्रति पेश की गई है, नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रतियॉ भी पेश की गई हैं । इन दस्तावेजात पर प्रदर्श नम्बर अंकित नहीं किये गये हैं ।

12. प्रतिवादी की ओर से दस्तावेजात में इकरारनामे की फोटो प्रति प्रदर्श– डी–1 ए, नोटरी के रजिस्टर की प्रति प्रदर्श– डी–2ए पेश की गई है।

13. वादी की ओर से बयान महेन्द्र पीडब्ल्यू–1, सलाम पीडब्ल्यू–2 कराये गये हैं । पीडब्ल्यू–1 महेन्द्र ने अपने बयानों में इस बात को स्वीकार किया है कि वादग्रस्त आराजी पर कब्जा प्रतिवादी का है ।

14. प्रतिवादी की ओर से बयान बच्छी लाल डीडब्ल्यू–1, किशन गोपाल डीडब्ल्यू–2, धनराज डीडब्ल्यू–3, मनोहर डीडब्ल्यू–4 कराये गये हैं।

15. वादी की ओर से स्थायी निषेधाज्ञा का दावा पेश किया गया है और विकल्प में यह कथन किया है कि यदि ताकत के बल पर जबरन प्रतिवादी आराजी पर कब्जा कर ले तो उन्हें बेदखल कर कब्जा वापस वादी को प्रदान किया जावे । इस बाबत् तनकी नम्बर 03 भी कायम की गई है परन्तु वादी के द्वारा अपनी सहायता में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि प्रतिवादी के द्वारा दावा पेश हो जाने के उपरान्त कौनसी तिथि को उसकी आराजी पर कब्जा कर लिया । धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के दावे में दावा दायरी की दिनांक को वादी का कब्जा सिद्ध होना अनिवार्य होता है और यदि दावा पेश होने के उपरान्त प्रतिवादी के द्वारा कब्जा कर लिया जाता है तो इस दावे में बेदखली की सहायता प्रदान की जा सकती है परन्तु इस प्रकरण में वादी के द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि दावा पेश होने के उपरान्त प्रतिवादीगण के द्वारा कब उनकी आराजी पर कब्जा कर लिया गया । ऐसी स्थिति में इस प्रकरण में परीक्षण न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से खारिज किया जाना उचित समझते हैं और प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा–निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं कि उभयपक्षीय साक्ष्य के आधार पर यह सुनिश्चित किया जावे कि प्रतिवादी के द्वारा वादग्रस्त आराजी पर कब्जा दौराने दावा किया गया है अथवा दावा दायरी के पूर्व से ही प्रतिवादी का कब्जा है । वादी के द्वारा पेश किये गये दस्तावेजात को भी प्रदर्शित नहीं करवाया गया है जिनको प्रदर्शित किया जावे ।

16. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.12.2019 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि पैरा संख्या 15 में किये गये विवेचन के मध्यनजर वादी के द्वारा पेश किये गये दस्तावेजात को प्रदर्शित करवाया जाकर और पक्षकारान यदि अतिरिक्त साक्ष्य पेश करना चाहें तो उन्हें पेश करने का अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे विधि सम्मत रूप से तनकीवार निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 12.02.2021 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

17. निर्णय आज दिनांक 28.12.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

28/12/2020

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा